



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिकार अभिलेख

| रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------|--|
| अंकुर मंडल, पिता - हाडी राम मंडल, एक अंश, जाति- ., निवासी- व उर्मिला देवी, पति - मदन मंडल, एक अंश, जाति- ., निवासी- व गोपाल मंडल, पिता - मदन मंडल, एक अंश, जाति- सुड़ी, निवासी- निजग्राम पत्रालय निजग्राम | | | | | | | | | | | | |
| जिला का नाम धनबाद | | | अंचल का नाम धनबाद | | | हलका का नाम हलका-02 | | मौजा का नाम सरायदेला | | खाता का रैयती प्रकार | | |
| खेवट नम्बर | | खाता नम्बर 101 | | थाना का नाम | | | थाना नम्बर 8 | | | | | |
| खाता नम्बर | खेसरा नम्बर | चौहद्दी उत्तर 3 चौहद्दी दक्खिन 4 | किस्म जमीन | मिजान | | कैफियत / अभ्युक्ति | हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस | लगान | | | खास शर्त | |
| (1) | (2) | (3) | कियारी संख्या (5) | | | (8) | (9) | री (10) | आ (11) | पै (12) | (13) | |
| 101 | 3047 | ? ----- ? ----- | सहन 0 | 0.000 एकड़ | 10.000 डिसमील | | 1 - 55 एक रूपया पचपन पैसा अलावे सेस | 1 | 0 | 55 | क | |
| | 3048 | ? ----- ? ----- | सहन 0 | 0.000 एकड़ | 28.000 डिसमील | | 1 - 55 एक रूपया पचपन पैसा अलावे सेस | | | | | |
| | 3049 | ? ----- ? ----- | मोटी आर 0 | 0.000 एकड़ | 5.000 डिसमील | | 1 - 55 एक रूपया पचपन पैसा अलावे सेस | | | | | |
| | 3050 | ? बी. सी. सी. एल. ? मोटी आर | नई परती 2 साल 0 | 0.000 एकड़ | 48.000 डिसमील | | 1 - 55 एक रूपया पचपन पैसा अलावे सेस | | | | | |
| | 3064 | ? दासु महतो ? गरीबन महतो | नई परती एक साल 0 | 0.000 एकड़ | 78.000 डिसमील | | 1 - 55 एक रूपया पचपन पैसा अलावे सेस | | | | | |
| | 3066 | ? निज ? निज | पुरानी परती 0 | 1.000 एकड़ | 48.000 डिसमील | | 1 - 55 एक रूपया पचपन पैसा अलावे सेस | | | | | |
| खाता मे कुल प्लोट संख्या 6 | | | खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार) 3.000 18.000 | | | खाता का कुल लगान | | | 1 0 55 | | | |

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

6/7/2023

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।